

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 जून 2023—आषाढ़ 5, शक 1945

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास) जिला सागर, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1069-डूडा-2023

सागर,, दिनांक 16 जून 2023

एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सागर जिले की बीना ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका बीना-इटावा की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है, अनुसूची-1 में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर धारा 5(2) के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा:-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद बीना-इटावा की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	दुरूआ	दुरूआ, कुरूआ, हिरनछिपा	812.86
2	हींगटी	हींगटी	716.06
3	गुलाऔ	गुलाऔ, मुसयावदा	532.18
4	नौगाँव	नौगाँव, करई, नौपुरा	775.05
5	किर्वावदा	किर्वावदा, शब्दा, पाली, रूपरु	1113.84
6	हड़कलखाती	भिलावली	164.52
7	पार	मुड़िया नायक	396.6

1	2	3	4
8	किरौद	कलरावनी	228.35
9	बेरखेड़ी टाड़ा	कालूखेड़ी	186.15
10	बरधौरा	बरधौरा, इटावा बाहरी क्षेत्र	1124.86
11	पीपरखेड़ी	मालखेड़ी, फुटेरा	552.61
12	धनौरा	धई बुजुर्ग	331.31
	कुल:-		6934.39

अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, बीना-इटावा नगर पालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

उत्तर दिशा-कालूखेड़ी, मुढियानायक, कलरावनी, बरधौरा, इटावा बाहरी क्षेत्र।

पूर्व दिशा-रूपऊ, गुलौआ, मुसयावदा, नौगौव, करई, नौपुरा।

दक्षिण दिशा-फुटेरा, धईबुजुर्ग, मालखेड़ी, दुरुआ, कुरुआ, हिरनछिपा, हींगटी।

पश्चिम दिशा-पाली, मिलावली, शब्दा, किरावदा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर.

No. 1069-DUDA-2023

Sagar, the 16th June 2023

Hereby exercising the powers conferred for section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh municipality Act. 1961 (No. 37 of 1961) the hereby signify their intention to the limit of Nagar Palika Parishad Bina-Etawa Distt. Sagar include the village is defined in Schedule an below. Any authority are inhabitant of the Scheduled-1 are may submit his objection or suggestion in writing on Collector Disst. Sagar with in 07 Days from the date of Primary publication for this Notification for the consider as per rule and authority take such objection or suggestion in to consideration:-

SCHEDULE-1

S.No	Name of Village	Including Village	Detail of Area (in Hectare)
1	2	3	4
1	Durua	Durua, Kurua, Hiranchipa	812.86
2	Heingti	Heingti	716.06
3	Guloua	Guloua, Musyawada	532.18
4	Naugaon	Naugaon, Karai, Naupura	775.05
5	Kirravda	Kirravda, Shabda, Pali, Rupau	1113.84
6	Hadkalkhati	Bhilwali	164.52
7	Par	Mudhiya nayak	396.6
8	Kirrod	Kalravni	228.35

1	2	3	4
9	Berkhedi tanda	Kalukhedi	186.15
10	Bardhora	Bardhora, Itawa bhahari kshetra	1124.86
11	Peeparkhedi	Malkhedi, Futera	552.61
12	Dhanora	Dhaibujurg	331.31
	Total		6934.39

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Bina-Etawa after including the area in schedule-1.

North direction— Kalukhedi, Mudhiya nayak, Kalravni, Bardhora, Itawa bhahari kshetra.

East direction— Rupau, Guloua, Musyawada, Naugaon, Karai, Naupura.

South direction— Futera, Dhaibujurg, Malkhedi, Durua, Kurua, Hiranchipa.

West direction— Pali, Bhilwali, Shabda, Kirravda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK -ARYA, Collector.